

“श्री सिमरदीप सिंह (खनन पट्टा संख्या 23/2018) की जन सुनवाई विवरण दिनांक

28.06.2022 समय 12.00 दोपहर:

यह जनसुनवाई श्रीमान ओपी० बुनकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता एवं श्रीमान शरद जी सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर की उपस्थिति में आयोजित की गयी। जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर-(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के संबन्ध में नियमों की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 28.05.2022 एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 28.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई “श्री सिमरदीप सिंह” द्वारा प्रस्तावित क्वार्टर एवं फैल्सपार खनन परियोजना (खनन प्लॉट संख्या 23/2018 लीज क्षेत्र 4.0092 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टों को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 16.4555 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1302789 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर एवं फैल्सपार उत्पादन क्षमता 524794 TPA निकट ग्राम बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रु. 8.40 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत्त बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 15.04.2021 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

अति. जिला कलेक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योगमालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ट "अ" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री निगीष सिंघवी द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब" के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सकरोना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.ग. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आमंत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

1. विक्रम सिंह ग्रामवासी बोडकी

आपसे यह आग्रह है कि स्कूल की व्यवस्था में सुधार किया जाए। गांव में सड़कों का डामरीकरण किया जाए। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। पनघट योजना भी नहीं है, हमारे स्कूल के अन्दर है उसमें भी पानी कम है तो पनघट की व्यवस्था करायी जाए सबसे मेन पानी की समस्या है। पानी की टंकी बना दी जाए एवं घर-घर नल पहुंचा दिए जाए।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि कलस्टर के सभी खान मालिकों द्वारा कुल 2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष का प्रोविजन दिया है जिसमें आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर इसके सिवाय भी आपको पीने के पानी की गर्मी में अगर कोई समस्या आती है तो खान मालिक अपने टैंकर्स द्वारा आपको पानी वितरण करवा देंगे। सड़क पक्की करने व रखरखाव करने हेतु 10.0 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्कूल हेतु भी 4.00 लाख रुपये प्रावधान सभी खान मालिकों द्वारा किया गया है।

2. श्री लिम्बाराम मीणा निवासी खोड़ी पीपली, पंचायत टेकण

यहां खनन का कार्य चल रहा है उसके समीप हमारी खाना बन्दी जमीन है। हमारी जमीन में मलबा नहीं डाला जाए एवं कुछ भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह जो परियोजना बनी है उसका सयुक्त सीमांकन पटवारी एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग के फॉरमेन द्वारा किया गया है। खान मालिक अपनी सीमा में ही कार्य करेगा व मलबा स्वयं की सीमा में ही डालेगा।

3. विक्रम सिंह ग्रामवासी बोडकी

इस पर श्री विक्रम सिंह ने मांग रखी कि बाहर के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाए, यही हमारी मांग है।

इस पर खान मालिक द्वारा कमिटेमेंट किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार यहां के लोगों को ही मिलेगा।

प्रति. जिला कलक्टर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "स")

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "द" में संलग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "य" में संलग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर-(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

3/11

(ओ.पी. बुनकर)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (प्रशासन)
जिला-उदयपुर

अति. जिला कलेक्टर
उदयपुर

(शरद सक्सेना)

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (रा.)

श्री सिमरदीप सिंह, क्वार्टर एव कैम्पार नाईन्स, (फ्लॉट सं 23/2018, क्षेत्रफल-40092 हेक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1302789 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्टर एव कैम्पार उत्पादन क्षमता 524784 TPA मिर्जाट ग्राम-बोडकी, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर पर्यावरण सखी जनसुनवाई बाबत दिनांक 29.08.2022 को 12:00 PM बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोडकी में श्री सिमरदीप सिंह, क्वार्टर एव कैम्पार नाईन्स, तहसील-लसाडिया, जिला-उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं सदस्यों का परिचय

क्र.सं.	आदिता का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	O. P. Bunkar	ADM, Udaipur	डॉ. B
	शिवराम शर्मा	RO RPS Udaipur	✓
	सुनील कुमार	TDR Lasaadiga	सुनील
	Shiv Kumar	AEF, RPS Udaipur	Shiv
	Simerdeep	Hina - Fuzhal Nagar, Yez Halayana	Simerdeep
	Umesh Salvi	mining office, Salumber	U
1	पं. श्री	बोडकी	पं. श्री
2		बोडकी	पं. श्री
3	शंकर लाल	बोडकी	शंकर लाल
4	श्री गीता	बोडकी	शंकर लाल
5	श्री लाल शीला	बोडकी	शंकर लाल
6	शंकर लाल	बोडकी	शंकर लाल
7	सुनील परमार	बोडकी	शंकर लाल
8	राजेश	बोडकी	राजेश
9	किरीट	बोडकी	किरीट
	शंकर लाल	बोडकी	शंकर लाल

व्यक्ति का नाम
पेमाराज मीणा

पता/विभाग का नाम
वालरा खेराड

हस्ताक्षर
पेमाराज

पुनर्वचक
विक्रम सिंह
पुष्पा लाल
शुभलाल सिंह
शंकर लाल
शक्ति लाल
मन्जी राम

बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी

भोगा
पुष्पा
शुभलाल
शक्ति लाल
मन्जी

पुनर्वचक

गदु
सुरेश
जगदीश
जगदीश
कन्हैयालाल

बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी

सुरेश
जगदीश
जगदीश
कन्हैयालाल
जगदीश
देवि लाल मीणा

देवी लाल मीणा

मुहंजर मीणा

जगदीश लाल मीणा

जगदीश चन्द मीणा

शंकर लाल मीणा

मागी लाल

जगदीश लाल मीणा

जगदीश सिंह (बोडकी)

बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी
बोडकी

Mukesh
जगदीश लाल
जगदीश
शंकर
मागी लाल
जगदीश
जगदीश

क सं.

व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
Kuldeep yadav Anmit Pal Pavan Kumar	Shakti Nagar, Vidyanagar 4 4 I.R. KUM	[Signature] [Signature]
Brahmal Singh Jaypal Singh	J.C. A.S.S.I. [Signature]	[Signature] [Signature]
Anand Salvi	Mining Dept Salumber	[Signature]

पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई

बोडकी क्वार्टरज एंव फैल्सपार कलस्टर प्रोजेक्ट निकट ग्राम बोडकी, तहसील लमाडीया,
जिला उदयपुर (राजस्थान) में निम्नलिखित पर्चा प्रोजेक्ट प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

क्र.सं.	परिचोजना प्रस्तावक का नाम	घर. प्ल. न.	क्षेत्रफल	खसरा संख्या	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता
1.	श्री विमलदीप सिंह	19/2018	4.0120 हेक्टर	1, 1/1	199422 टन प्रतिवर्ष

कलस्टर में स्वीकृत अन्य खनन पट्टे का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	परिचोजना का नाम	रेकरेन्स संख्या	क्षेत्रफल	उत्पादन क्षमता
1.	श्री मांगू	1/2018	3.8605	176748 TPA
2.	श्री रतन लाल	2/2018	2.2781	148044 TPA
3.	श्री मांगू	3/2018	2.9215	168995 TPA
4.	श्री रामदेव तेली	5/2018	3.3862	284208 TPA

स्थान : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोडकी
दिनांक 28/06/2022
अध्यक्षता: अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर।

समय- प्रातः 11.30 बजे
आयोजक : क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर











